[16/3/2023]

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या प्रश्न सं. [क्र. 1415] 1415 परिशिष्ट - अ

(घ) कोई अन्य विषय जिसे निस्तार पत्रक में इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन अभिलिखित किया जाना अपेक्षित हो ।

236. निस्तार पत्रक में कतिपय विषयों के लिए उपबन्ध – धारा 235 में यथा उपबन्धित निस्तार पत्रक तैयार करने में, कलेक्टर, यथासम्भव, *निम्नलिखित के लिये उपबन्ध करेगा–*

(क) कृषि के लिये उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं को निःशुल्क चराने के लिये;

(ख) ग्राम के निवासियों द्वारा उनके वास्तविक घरेलू उपभोग के लिये –
(एक) वन उपज का;
(दो) गौण खनिजों का मुफ्त ले जाया जाना;

(ग) ग्राम के शिल्पकारों को, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट की गई वस्तुएँ; उनकी शिल्पकारी के प्रयोजन के लिये ले जाये जाने के लिये दी जाने वाली रियायतें।

237. निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक् रखा जाना– (1) इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर दखल रहित भूमि को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये पृथक् रख सकेगा, अर्थात्: –

(क) इमारती लकड़ी या ईंधन के लिये आरक्षित क्षेत्र के लिये;
(ख) चारागाह, घास, बीड़ या चारे के लिये आरक्षित क्षेत्र के लिये;
(ग) कब्रिस्तान तथा श्मशान भूमि के लिये;
(घ) गोठान के लिये;
(ङ) शिविर भूमि के लिये;
(च) खलिहान के लिये;
(छ) बाजार के लिये;
(ज) खाल निकालने के स्थान के लिये;
(झ) खाद के गड्ढों के लिये;
(ञ) पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों,

(d) any other matter required to be recorded in the Nistar Patrak by or under this Code.

236. Provision in Nistar Patrak for certain matters. — In preparing the Nistar Patrak as provided in Section 235, the Collector shall, as far as possible, make provision for —

(a) free grazing of the cattle used for agriculture;

(b) removal free of charge by the residents of the village for their bona fide domestic consumption of —
(i) forest produce;
(ii) minor minerals;

(c) the concessions to be granted to the village craftsmen for the removal of the articles specified in clause (b) for the purpose of their craft.

***237. Collector to set apart land for* exercise of Nistar rights.** — (1) Subject to the • rules made under this Code, the Collector may set apart unoccupied land for the following purposes, namely, —

(a) for timber or fuel reserve;
(b) for pasture, grass bir or fodder reserve;
(c) for burial ground and cremation ground;
(d) for gaothan;
(e) for encamping ground;
(f) for threshing floor;
(g) for bazar;
(h) for skinning ground;
(i) for manure pits;
(j) for public purposes such as schools, play grounds, parks,

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग शाखा-

—2—

-2-

आज्ञा क्र. 1415 | परिशिष्ट - 35

सड़कों, गलियों, नालियों जैसे तथा उसी प्रकार के लोक प्रयोजनों के लिये;

(ट) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिये विहित किये जायें।

[1][(2) विलोपित]

[2][(3) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात्, उपधारा (1) में वर्णित ऐसी दखल रहित भूमि को आबादी, सड़कों, राजमार्गों, नहरों, तालाबों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गौशालाओं के निर्माण या अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओं के लिए, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, व्यपवर्तित कर सकेगा :

परन्तु उपधारा (1) में वर्णित प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई भूमि किसी भी व्यक्ति को कृषिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित या आबंटित नहीं की जाएगी ।]

[3][(4) जब उपधारा (1) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए पृथक् से रखी गई भूमि का, ऐसी विकास और अधोसंरचना परियोजनाओं जो राज्य सरकार के स्वामित्व की हैं या अनुमोदित हैं, किन्तु उपधारा (3) के अधीन नहीं आती हैं, व्यपवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, तो कलेक्टर, उपलब्ध विकल्पों पर अपना समाधान कर लेने के पश्चात् और सम्बद्ध परियोजनाओं से उन्हीं निस्तार अधिकारों की पूर्ति करने के लिए समतुल्य क्षेत्र की भूमि अभिप्राप्त कर लेने पर भी इस आशय का तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए, ऐसे प्रयोजन के लिए भूमि व्यपवर्तित कर सकेगा।]

1. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा लोप।
2. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा अंतःस्थापित।

road, lanes, drains and the like; and

(k) for any other purposes which may be prescribed for the exercise of right of Nistar.

[1][(2) Deleted.]

[2][(3) Subject to the rules made under this Code, the Collector after securing the land mentioned in clause (b) of sub-section (1) to minimum two percent of the total agriculture land of that village, may divert such unoccupied land as mentioned in sub-section (1) into abadi or for construction of roads, state highways, national highways, canals, tanks; hospitals, schools, colleges, Goshalas and any other public utility projects as may be determined by the State Government:

Provided that the land set apart for the purposes mentioned in sub-section (1) shall not be diverted and allotted to any person for agriculture purpose.]

[3] [(4) When it becomes indispensable to divert the land set apart for the purposes mentioned in sub-section (1) for such development and infrastructural projects which are owned or approved by the State Government but not covered under sub-section (3), the Collector, after satisfying himself on alternatives available and also on obtaining land of equivalent area for fulfilling the same nistar rights from the concerned project, may divert the land for such purposes by passing a reasoned order to this effect.]

1. Deleted by Act No. 42 of 2011.
2. Substituted by Act No. 42 of 2011.
3. Inserted by Act No. 42 of 2011.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग शाखा-